

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23-10-17	<p>राधावती के द्वारा अपीलान्त स्वयं त्प्राप्त। राज्य लोक सूचना अधिकारी, 35 खण्ड अधिकारी, फाजी का फांके RTI / 314 दिनांक 18-10-17 प्राप्त शामिल मिल रहा है। राज्य लोक सूचना अधिकारी, 35 खण्ड अधिकारी, फाजी के द्वारा दिनांक 17-10-17 द्वारा सूचित किया है कि मिलायी की राजावती उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना दिपांजना संभव नहीं है जबकि फांके 18-10-17 द्वारा सूचित किया है कि पत्रकारों के कार्यालय से उपलब्ध होने पर कनिष्ठ नकल अपीलान्त के दिनांक 18-10-2017 को उपलब्ध करा दी गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारी, 35 खण्ड अधिकारी, फाजी के द्वारा दिनांक 17-10-2017 एवं 18-10-2017 के सम्बन्ध में अपीलान्त के कथन कि हालांकि कनिष्ठ सूचना उल्लिखित से प्राप्त हुई है, और कनिष्ठ सूचना/नकल प्राप्त है पुर्ण है/अपने अपील में अपीलान्त के अन्य कोई दादरही प्राप्त नहीं करनी है, अतः अपील खारिज कर दी जाये कि कोई एतराज नहीं है। चूंकि कनिष्ठ राजावती के नकल प्राप्त होने अपीलान्त के जाहिर किया है और अन्य कोई दादरही नहीं वाली है। अतः अतः अतः अतः कनिष्ठ नकल प्राप्त हो जाने के अन्य कोई दादरही नहीं पाए जाते हैं अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय से इतलाज सुनाया गया।</p>	<p>पृष्ठ 261314 १-11-17</p>

रवि कलकर (द्वितीय)  
अधी